पत्रावली प्राप्त हुई। एकूलाम फरीकैन उपस्थित। उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते कोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 26.3.18 को पेश हो।

26-3-18 पत्रावली पेश हुई। एकूलाम फरीकैन उपस्थित। उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। वकील वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की दरखास्त की। जबकि वकील प्रतिवादी ने वाद पत्र के खण्डन के प्रस्तुत जवाबदेह के आधार पर वाद पत्र को खारिज किये जाने की दरखास्त की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के निर्णय की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। किन्तु दर्ज रजिस्टर के बाद न तो ~~वादी~~ वादी उपस्थित हुआ और न ही वादी की ओर से अधिवक्ता ही उपस्थित हुआ। केवल प्रतिवादी की वकील मोहम्मद अली की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप जोशी, एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। किन्तु वाद दर्ज होने के बाद अन्य पक्षकार की ओर से धारा 10 R10 CPC के तहत प्रार्थना पत्र सी.जे.डी. को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर नकल प्रतिवादी के अधिवक्ता को दी गयी। तथा वकील प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथा नकल वकील वादी को दी गयी। किन्तु वादी व वादी के वकील कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। केवल मात्र प्रार्थना पत्र को बहस पर उपस्थित नहीं होकर अवकाश चाहा। प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 10 R10 व धारा 151 जा.दी. का विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रकरण दिनांक 16.12.2010 से विचाराधीन चल रहा है। इससे स्पष्ट है कि वादी महमूद उर्फ अलाउद्दीन निवासी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाह रहा है और न ही न्यायालय में उपस्थित ही हो रहा है अतः न्याय हित में वादी द्वारा वाद पत्र में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेने से वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के काम आने की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)